आवास अधिकार हमारी आवाज़

अंक 1, मार्च 2021, नई दिल्ली

श्रेय: साहिबा चौधरी

दिल्ली में आवासहीनता की स्थिति

दिल्ली में बिना घर के रहने वालों की कुल आबादी 2 लाख से अधिक है, जिसमें महिलायें, बच्चे, बुजुर्ग व विकलांग तथा परिवार, हर वर्ग के लोग हैं। लोग कई कारणों से बेघर होते हैं जैसे ग़रीबी, जबरन बेदख़ली, किफ़ायती आवास का अभाव व किराया ना दे पाना, आधारभूत संरचना का अभाव, बेरोजगारी इत्यादि। आवास के अभाव में लोगों को सड़क के किनारे, फुटपाथ, पार्क, धार्मिक स्थल, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप और आश्रय गृह (शेल्टर) में रहने को विवश होना पड़ता है। दिल्ली में आवासहीन महिलाओं की अनुमानित संख्या 30,000 से अधिक है। फुटपाथ पर रहने वाली महिलाओं को घर ना होने के कारण खुले में सोना, नहाना, और कपड़े बदलना पड़ता है और उनके साथ हिंसा का खतरा हमेशा बना रहता है। उन्हें कई गंभीर बीमारियों का भी ख़तरा रहता है। दिल्ली में महिलाओं के लिए शेल्टरों की संख्या बहुत कम हैं। उनमें भी उनकी निजता सुरक्षित नहीं है।

आवास का अधिकार क्या है?

अंतर्राष्ट्रीय क़ानून में आवास हर व्यक्ति का मानव अधिकार है। संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के अनुसार, "प्रत्येक महिला, पुरुष, युवा व बच्चे को एक सुरक्षित घर प्राप्त करने और उसे बनाये रखने का अधिकार प्राप्त है, ताकि वह अपने समुदाय में शांति और सम्मान के साथ जीवन जी सके।" भारत के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी आवास के अधिकार को भारत के संविधान का हिस्सा माना है। रोटी, कपड़ा, और मकान हर व्यक्ति की मूलभूत ज़रूरत है। घर/आवास केवल जीवन का संरक्षण ही नहीं, बल्कि शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और सामाजिक विकास के लिए जरूरी है। उपयुक्त आवास के लिए सिर्फ़ एक छत ही काफ़ी नहीं है, बल्कि सभी मूलभूत सुविधाएँ भी ज़रूरी हैं, जैसे पानी, भोजन, रोज़गार के अवसर, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, इत्यादि। इसलिए सरकार की संवैधानिक ज़िम्मेदारी है कि वह गरीबों को आवास मुहैया कराए।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस: 8 मार्च 2021

पिछली एक सदी से भी ज़्यादा समय से, दुनिया भर में लोग 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। महिला दिवस का मुख्य मक़सद महिलाओं के अधिकारों को महत्व देना, उनके संघर्ष का समर्थन करना, और उनकी उपलब्धियों का सम्मान करना है। आवास के अभाव में महिलाओं को विशेषकर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य, निजता, और जीवन पर गहरा असर पड़ता है। महिला दिवस के अवसर पर, आवासहीन महिलाओं के अधिकारों को उजागर करने के लिए, इस पत्रिका का विशेष अंक HLRN (एच एल आर एन) द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है।

श्रेय: साहिबा चौधरी

आवास और भूमि अधिकार संगठन द्वारा संचालित 'आवास अधिकार अभियान'

आवास और भूमि अधिकार संगठन (HLRN) ने 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की 150वें जन्मदिवस के अवसर पर 'आवास अधिकार अभियान' की शुरुआत की। इस अभियान का प्रयास है की आवासहीन लोगों को घर (उपयुक्त आवास) मिले जिससे वो समाज में सम्मान और सुरक्षा के साथ जीवन जी सकें। संवाद, सामुदायिक बैठक, परिचर्चा, व सरकार से पैरवी कर इस अभियान ने अब तक दिल्ली के लगभग 20,000 लोगों तक पहुँच बनाई है। इस अभियान के माध्यम से दिल्ली के मुख्यमंत्री को आवासहीन लोगों का माँग–पत्र सौंपा गया, जिस पर हज़ार से भी अधिक लोगों नें हस्ताक्षर किए। अभियान नें आवासहीन लोगों की ज़रूरतों और सुझावों को आवाज़ दिया है और दशकों से चलती आ रही उनकी अलग–अलग माँगों को एकजुट किया है। साथ ही, लोगों में आवास के अधिकार के बारे में जागरूकता बढ़ी है और एक उम्मीद जगी है कि लोगों को आवास के लिए संघर्ष करना होगा।

आप-बीती

महिलाओं की कहानी, उनकी जुबानी

1 बुढ़ापे में सड़क पर रहने की चुनौतियाँ

"मेरा नाम कमला है और मेरी उम्र 90 साल है। मैं काली मंदिर के पास रहती हूँ। मैं अपने परिवार के साथ पालिका धाम में झुग्गी में रहती थी। साल 2003 में सरकार ने झुग्गी तोड़ दिया। उसके बदले हमें कहीं कुछ नहीं मिला। बच्चे कमाते थे, तो किराए का घर लेकर रहने लगे। हम भी साथ में रहने लगे। लेकिन कुछ दिन बाद बच्चों ने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। और एक दिन नौबत यहाँ तक आ गयी की बेटे ने मेरे पति पर हाथ उठा दिया। हम दोनों पति पत्नी काली मंदिर आ गए और फुटपाथ पर रहने लगे। हमारे पास ना काम था, ना ही काम करने की उम्र थी। भीख माँगकर गुज़ारा करने लगे। साल 2011 में हमारे पति का स्वर्गवास हो गया। तब से मैं भीख माँगकर अपना गुज़र बसर कर रही हूँ। और यही फुटपाथ पर सो रही हूँ। लॉक्डाउन में मैं यहीं काली मंदिर पर ही थी। खाने पीने की बहुत दिक्कत हो रही थी। पुलिस भी मारकर भगा रही थी। जाने के लिए कहीं भी जगह नहीं थी। एक दिन पुलिस वाले ने कई डंडा मारा। जिसकी चोट के निशान अभी तक हैं। जब कोई खाना बांटने आता है तो ठीक से चल भी नहीं पाती हूँ। दूसरे लोग लाकर देते हैं। हमें सरकार से भी कोई सहायता नहीं मिलती।"

"मैं चाहती हूँ सरकार मुझे एक झोपड़ी और वृद्धावस्था पेंशन दे दे तो मेरा गुज़ारा आराम से हो जाएगा।"

2 लॉक्डाउन का बच्चे के स्वास्थ्य पर असर पड़ा

"मेरा नाम सोनी है और मेरी उम्र 35 साल है। 20 साल पहले मैं अपने पति के साथ दिल्ली आ गयी थी। दिल्ली में उर्दू पार्क, जामा मस्जिद में मेरी माँ पहले से रहती थी। मैं भी पति के साथ यहीं पार्क में रहने लगी। पति किराए पर रिक्शा लेकर चलाने लगे। अगस्त 2019 में मैंने अपने पाँचवें बच्चे को कस्तूरबा गांधी अस्पताल में जन्म दिया। तब बच्चा स्वस्थ और तंदुरुस्त था। आमदनी इतनी नहीं थी, इसलिए सिर्फ मैंने अपना दूध पिलाकर पाला। जब लॉक्डाउन हुई और काम धंधे बंद हो गए तब खाने–पीने की बड़ी दिक्कत होने लगी। कई बार हम लोगों को भूखा सोना पड़ता था। बच्चा छोटा था और उसका पेट नहीं भर पा रहा था। जब हम अपने खाने का इंतज़ाम नहीं कर पा रहे थे तो बच्चे के लिए प्रोटीन, विटामिन, या दूध कहाँ से लाते ? धीरे धीरे बच्चा कमजोर होने लगा, हमारे पास पैसा भी नहीं था की हम डाक्टर को दिखा पाते। पूरे लॉक्डाउन में बच्चा काफ़ी कमज़ोर हो गया। अक्टूबर में उसे बुखार हुआ, मैं रैन बसेरे में आने वाली हेल्थ वैन से दवाई लेकर खिलाने लगी, लेकिन महीना बीत जाने के बाद भी जब कोई सुधार नहीं हुआ तब मैं डिस्पेंसरी ले गयी। लेकिन बच्चे में कोई सुधार नहीं हुआ। दिसंबर में मेरा बच्चा गुजर गया।"

3 बारिश में झुग्गी बह गयी

"मैं संतोष, अन्ना नगर मे 12 सदस्यों के परिवार में रहती हूँ। इस बस्ती में हम 40 सालों से रहते आ रहे है। परिवार में कुल मिलाकर 5 बच्चे है। मैंने मेहनत मजदूरी कर के रहने लायक झुग्गी बनाई थी । बरसात के समय नाला पानी से भर गया था। 19 जुलाई 2020 को सुबह 8 बजे अचानक झुग्गी में पानी भर गया। मैं तुरंत अपने बच्चों को लेकर अपनी झुग्गी से बाहर निकल आई। मेरी झुग्गी पूरे सामान के साथ नाले मे डूब गई । सरकार ने हमें 15 दिन स्कूल में रखा। और कुछ दिन बाद वहाँ से निकाल दिया। और मैं अपने परिवार को लेकर भटकती रही । इस कारण काम धंधा भी छूट गया। 25 हजार रुपए मुआवज़ा मिला उस रुपए से अपने बच्चों के कपड़े, बर्तन और बिस्तर ख़रीदे। अब हम बस्ती की दो झुग्गियों में किराये पर रहते है। एक झुग्गी का 5 हज़ार और दूसरी झुग्गी का 4 हजार रुपए किराया देना पड़ता है। कभी काम मिलता है, कभी नही मिलता है। मैं बहुत मजबूर हूँ। करीब 8 महीने हो गये पर पता नहीं कब तक अपना घर मिलेगा। किराये पर रहना मुश्किल होता जा रहा है।"

श्रेय: साहिबा चौधरी

4 सड़क पर महिलाओं के साथ हिंसा

"आज मुझे घर ना होने की पीड़ा होती है। अगर घर होता, तो मेरी बेटियाँ सुरक्षित होती और पढ़ लिख पाती।"

"मेरी उम्र 30 साल है। मैं यहीं काली मंदिर के फुटपाथ पर जन्मी और बड़ी हुई। जब मैं 12 साल की थी तब अपनी मर्ज़ी से मैंने शादी कर लिया। जब मैं 16 साल की थी तब पहले बच्चे को जन्म दिया। 21 साल की उम्र में ही मेरे तीन बच्चे हो गए। इस बीच पति को नशे की लत लग चुकी थी। रोज़ लड़ाई–झगड़ा, मारपीट करने लगा जिसके कारण मैंने उसे छोड़ दिया और अलग रहने लगी। आज से 6 साल पहले मैं एक दूसरे लड़के के साथ रहने लगी। उसके साथ मेरी दो बेटियाँ हुई, जिसमे से एक जब 15 दिन की थी, ठण्ड लगने से मौत हो गयी। आज मेरे 4 बच्चे हैं। बेटी को सुनाई नहीं देता। जुलाई 2020 में (लॉक्डाउन के समय) मैं फुटपाथ पर रात को सो रही थी। बगल में बाकी बच्चे भी सो रहे थे। रात में एक आदमी आकर मेरी 14 साल की बेटी के बगल में लेट गया और उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास करने लगा। जब मेरी बेटी की आँख खुली तब वो चिल्लाई, उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मैं भी उठ गयी और बगल में जो लोग सो रहे थे वो भी उठ गए। तब जाकर वो आदमी भाग गया। और मेरी बेटी की इज्जत बच सकी। अगर घर होता तो ऐसा नहीं होता। मैं तब से रात भर सोती नहीं, अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए। अभी मैं 9 महीने के गर्भ से हूँ। मेरे पिता 8 महीने से किसी कारण जेल में है। और मैं अपने 4 बच्चों के साथ फुटपाथ पर हूँ। भीख माँगकर गुज़ारा कर रही हूँ।"

5 घरों में काम करके पति का इलाज कराया

"मैं गुलशन बेगम, उम्र 45 साल, किशनगंज बिहार की रहने वाली हूँ। शादी के बाद मैं अपने पति के साथ दिल्ली आ गई। दिल्ली में चांदनी चौक के पार्किंग में मेरे पति 'ऑटो इलेक्ट्रिषियन' का काम करते थे। हम किराए के मकान में रहते थे। ठीक ठाक गुज़ारा हो रहा था। एक दिन काम के दौरान गैस सिलेंडर फट गया और मेरे पति के दोनों हाथ बुरी तरह जल गए। उनको अस्पताल में भर्ती कराया, उनका इलाज हो रहा था लेकिन पैसे की दिक्क़त हो गयी। मैं कोई काम करती नहीं थी और इलाज का खर्च और मकान किराया जुटाना मुश्किल था। हमारे सामने कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने घरों में काम करना शुरू किया। लेकिन उस काम से सिर्फ इतना कम कमा पाती थी जिससे इलाज का खर्च और खाने खर्चा भी नहीं चला पा रही थी। एक साल तक इलाज चला, पति तो ठीक हो गए लेकिन दोनों हाथ से अपाहिज हो गए। काम कर पाने की स्थिति में नहीं रहे। जब मैं घर का किराया दे पाने में असमर्थ हो गयी तब कमरा खाली कर दिया। और निज़ामुद्दीन दरगाह के पास जाकर फुटपाथ पर रहने लगी। मेरे चार बच्चे हैं, एक बेटी और तीन बेटा। पति भीख माँगने लगे और मैं घरों में काम करने लगी।"

6 पटरी से किराए के घर तक का सफ़र

"मेरा नाम शाहजहां है। आज से 3 साल पहले मैं इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश से काम की तलाश में अपने परिवार के साथ दिल्ली आयी। लेकिन निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर हमारा सारा सामान चोरी हो गया। जो कपड़े पहने थे उसके अलावा कुछ नहीं बचा । उसके बाद किसी से जानकारी लेकर निज़ामुद्दीन दरगाह पर गए और वहाँ पर 10 दिन रहे। फिर निज़ामुद्दीन शेल्टर में रहने लगे और मेरे पति बाहर रहने लगे। उसी दौरान HLRN की टीम से 'आवास अधिकार अभियान' के दौरान मुलाक़ात हुई। हम दिल्ली में नए थे और जो घटनाएं घटी उससे निराश भी हो गए थे। निज़ामुद्दीन में हमें अलग रहना पड़ता था इसलिए हम सराय काले खान परिवार वाले शेल्टर में आ गए। 'आवास अधिकार अभियान' से हमें काफी जानकारी मिली, चाहे बच्चों की पढ़ाई को लेकर, या सुरक्षा को लेकर। साथ ही हमें अपने अधिकारों के बारे में भी जानने और समझने का मौक़ा मिला। मैंने प्रयास करना शुरू किया और 8 महीने पहले मैंने सराय काले खान में किराए पर घर ले लिया और अभी भी किराए के घर में रह रही हूँ। बड़ी बेटी नौवीं क्लास में पढ़ रही है। मेरे पति निज़ामुद्दीन दरगाह पर खाना खिलाने का काम करते हैं उन्हें 200 रुपए रोज मिलते हैं। मैं कागज़ का लिफ़ाफ़ा बना कर बेचती हूँ और 100–150 रुपए रोज कमा लेती हूँ। घर का किराया 3,000 रुपए और 300 रुपए बिजली का बिल है।"

"मैं चाहती हूँ की अगर सरकार हमें घर के किराए की मदद कर दे तो हम अपने बच्चों की पढ़ाई और अपनी जीविका चला सकते हैं।"

महिलाओं के प्रति हिंसा के खिलाफ जन सुनवाई

दिल्ली में बेघर महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा के गंभीर मामलों को प्रकाश में लाने के लिए 'शहरी अधिकार मंच : बेघरों के साथ' (SAM: BKS) ने 2013 में एक जन सुनवाई का आयोजन किया था, जिसमें दो पूर्व न्यायाधीश भी शामिल हुए। निर्णायक मंडल ने कई सुझाव दिए, जिनमें प्रमुख हैं:

- सभी बेघर लोगों, विशेषकर महिलाओं के मानवाधिकारों को सम्मान दिया जाना चाहिए।
- सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बेघर महिलाओं के लिए अलग स्थाई आश्रय गृहों का निर्माण करे, जिनमें कामकाजी महिलाओं और परिवारों के बच्चों के लिए उचित आंगनवाड़ी की सुविधा हो।
- सरकार को बेघर महिलाओं के विरुद्ध पुलिस द्वारा की जाने वाली हिंसा की जांच करनी चाहिए और यदि जिन्हें दोषी पाया जाता है तो उन्हें दंडित करना चाहिए।

सरकार के लिए महिलाओं के सुझाव

- सभी आवासहीन महिलाओं और उनके परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना में अहमियत दी जाए और उन्हें निशुल्क या किफ़ायती दर पे उपयुक्त आवास (घर) मिले।
- जब तक घर ना मिले तब तक सरकार किराए के घर के लिए पूरा किराया वहन करें, और किराए के घर की व्यवस्था करे।
- जितने आश्रय गृह बनें, उसमे महिलाओं के निजता और सुरक्षा का ध्यान रखा जाए।
- सभी आवासहीन गर्भवती महिलाओं को मातृत्व भत्ता दिया जाए।
- विधवा, वृद्धा, विकलांग, व एकल महिला को पेंशन दिए जाए।
- सभी आवासहीन महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया जाए।
- सभी आवासहीन महिलाओं और उनके परिवारों को खाद्य सुरक्षा (राशन कार्ड) दिया जाए।
- सभी सार्वजनिक शौचालय को निशुल्क किया जाए।

आवश्यक फ़ोन नम्बर

महिला हेल्पलाइन:	1091	बच्चों का हेल्पलाइन:	1098
दिल्ली महिला आयोग (हिंसा या अन्य परेशानी):	181	दिल्ली पुलिस (बुजुर्ग नागरिक):	1291
दिल्ली कोरोना हेल्पलाइन:	011–22307145	दिल्ली पुलिस (खोए व्यक्ति):	1094/011–23241210
मानसिक परेशानी:	08046110007		

आवास और भूमि अधिकार संगठन (हाउज़िंग एंड लैंड राइट्स नेटवर्क – HLRN) के सौजन्य से प्रकाशित।

किसी अन्य जानकारी या सुझाव के लिए संपर्क करें: 9582229754 / 9582022241 / 011–40541680

www.hlrn.org.in

HOUSING AND LAND RIGHTS NETWORK